प्रेस प्रकाशनी

दिसंबर 2009

मेसर्स असित सी. मेहता फाइनेनसियल सर्विसेज़ लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया

4 दिसंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स असित सी.मेहता फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय न्यूक्लियस हाऊस, साकी विहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स असित सी.मेहता फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभषित किया गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अधीन निवेश : धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

14 दिसंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) अब धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयर भारत में प्राथमिक बाज़ारों तथा शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह खरीद कंपनी की चुकता पूंजी की नीचे

उल्लिखित प्रतिशतता की कुल सीमा तक इस शर्त पर की जा सकती है कि बैंक में सकल विदेशी निवेश 74 प्रतिशत की संमिश्र क्षेत्रीय उच्चतर सीमा और सरकार द्वारा समय-समय पर यथनिर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो क्योंकि कंपनी ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड/आम सभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प परित किये हैं।

i) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) 49 प्रतिशत

ii) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/ 24 प्रतिशत

पंजीकरण का प्रमाणपत्र - रद्द

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करने के संबंध में अधिसूचित किया है, जिनके पंजीकृत कार्यालय उनके पतों के सामने लिखे हैं, को निम्नलिखित पंजीकृत कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के बाद कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कारोबार नहीं कर सकतीं।

क्रम सं.	प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	रद्द करने की तिथि
1	2009-2010/810	मैसर्स कंज्यूमर क्रेडिट एण्ड हायर पर्चेस लिमिटेड	क्र. पीपीआइवी / 7 (1), कोलेनचेरी, एर्नाकुलम, केरल-682,311	10 नवम्बर 2009
2	2009-2010/828	मैसर्स वाइ के एम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सिग्नेचर टॉवर'ए', 14 वीं मंजिल, साउथ सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, गुड़गांव-122001	25 नवम्बर 2009
3	2009-2010/835	मैसर्स नेटवर्क 18 मीडिया और निवेश प्राइवेट लिमिटेड	601, 6 तल मंजिल, वाणिज्यिक टॉवर, हॉटेल लि-मेरेडियन, रायसीना रोड, नई दिल्ली -110001	1 दिसम्बर 2009
4	2009-2010/861	मैसर्स लखनऊ फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	पो.ऑ. रेनुकूट, जिला. सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)	18 नवम्बर 2009
5	2009-2010/883	मैसर्स अंकुर होल्डिंग्स लिमिटेड	9बी, ए४8, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली 110052	23 नवम्बर 2009
6	2009-2010/883	मैसर्स अनोज फिनलिज प्राइवेट लिमिटेड	3-488, 1ली मंजिल, नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	23 नवम्बर 2009
7	2009-2010/883	मैसर्स एक्यूरेट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	108, 2069/38 नईवाला , करोल बाग, नई दिल्ली 110005	23 नवम्बर 2009
8	2009-2010/891	वेलजान इनवेस्टमेंट लिमिटेड	एचसीएल टावर्स, 4 मंजिल, चीकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	13 नवम्बर 2009
9	2009-2010/903	मैसर्स स्मार्ट इनवेस्टमेंट और फाइनेंस लिमिटेड	एक-8, मोदी नगर भवन, रोशन नगर रोड, चंदावरकर लेन, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई -400 092	23 अक्टूबर 2009
10	2009-2010/903	मैसर्स सतोप्त फाइनेंस लिमिटेड	1375 , सदाशिव पेठ, पुणे - 411 030	27 अक्टूबर 2009
11	2009-2010/903	मैसर्स श्रीया ट्रेडिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	408 / 3 नवजीवन सोसाइटी, लैमिंगटन रोड, मुंबई - 400 008	26 अक्टूबर 2009
12	2009-2010/903	मैसर्स एथॉनटिक इनवेस्टमेंट और फाइनेंस लिमिटेड	203, चार्टर्ड हाउस, 295/297, डा. कावसजी होमजी स्ट्रीट, मरीन लाईन चर्च, मुंबई - 400 002	09 नवम्बर 2009
13	2009-2010/903	मैसर्स बाखरू इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड	3, शिवजय, 29वां रास्ता, बांद्रा, मुंबई - 400 050	10 नवम्बर 2009
14	2009-2010/903	मैसर्स स्नेह फिनलिज लिमिटेड	1194 / 1 वृंदावन सोसायटी, ज्ञानेश मंगल कार्यालय के सामने, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005	16 नवम्बर 2009

रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत धारा 45 -आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कारोबार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खंड (क) में परिभाषित किया गया है।